

25 पत्रावली पेडा। आधेकम्ता वादी। वादी  
अनुपरिपत। वादी आधेकम्ता पूर्व में भी  
अनुपरिपत रहे है वादी। वादी आधेकम्ता जो  
उपरिपति हेतु न्यायालय समय में रुक  
रुक कर कावाजे न्याय गई लॉडिन कोई  
उपरिपत नहीं कतः वाद अदम पंरवी अरम  
हाजरी में खारिज किया जाता है पत्रावली  
फैसल सुधार होकर दाखिल दफ्तर हो प्य